उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे० आ०–सा० नि०) अनुभाग–7
संख्याः 18 /XXVII(7)/18–50(14)/2017
देहरादूनः दिनांक 23 जनवरी, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी सेवकों को (अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए) कार्यालय ज्ञाप संख्या–78/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च, 2009 तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों द्वारा यात्रा भत्ता एवं स्थानान्तरण यात्रा भत्ता की पूर्व में निर्धारित दरों को अतिक्रमित करते हुये यात्रा भत्ता एवं स्थानान्तरण यात्रा भत्ता के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से व्यवस्था उपबन्धित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(क) साधारण यात्रा भत्ता।

(धनराशि रू0 में)

क. सं.	वेतन स्तर	यात्रा की श्रेणियां			प्रदेश के भीतर		प्रदेश के बाहर		सड़क किलो मीटर भत्ता (प्रति कि.मी.)	प्रतिदिन की स्थानीय यात्राओं (केवल प्रदेश के बाहर के मामलों में लागू) हेतु अधिकतम सीमा
		वायुयान	रेल	सड़क	अवस्थान (Accomodation)	दैनिक भत्ता	अवस्थान (Accomodation)	दैनिक भत्ता		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	16 एवं उच्च	बिजनेस क्लास	ए.सी. प्रथम श्रेणी/ शताब्दी एक्सप्रेस (एक्जीक्यूटिव क्लास)	ए.सी. बस /वोल्वो	2000	700	6500	800	12	वास्तविक
2	13 ए. से 15	इकोनोमी	ए.सी. प्रथम श्रेणी/ शताब्दी एक्सप्रेस (एक्जीक्यूटिव क्लास)	ए.सी. बस /वोल्वो	1500	600	4500	700	10	वास्तविक
3	10 से 13	–	ए.सी. टू टियर/ए.सी. चेयर कार	ए.सी. बस	1000	450	2250	500	08	200
4	6 से 9	–	ए.सी. थ्री टियर/ए.सी. चेयर कार	ए.सी. बस	400	350	750	400	07	150
5	1 से 5	–	स्लीपर क्लास/ साधारण चेयर कार	साधारण बस	250	250	450	300	07	100

(1) ऐसे स्थान जो रेल से न जुड़े हों वहां पर ए.सी. टू टियर अथवा उच्च श्रेणी से यात्रा हेतु अधिकृत राजकीय सेवक ए.सी. बस से यात्रा कर सकते हैं। अन्य कार्मिक डीलक्स/साधारण बस से यात्रा हेतु अधिकृत होंगें।

(2) शासकीय गेस्ट हाउस/विश्राम गृहों/होटल आदि में अवस्थान की दशा में तालिका के स्तम्भ–6 अथवा 8 में अंकित धनराशि जैसी भी स्थिति हो, की अधिकतम सीमा तक दैनिक आधार पर अवस्थान भत्ता, स्तम्भ–7 अथवा 9, जैसी भी स्थिति हो, में उल्लिखित दैनिक भत्ते के अतिरिक्त अनुमन्य होगा। इस सम्बन्ध में बिल/वाउचर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(3) उक्त तालिका के स्तम्भ–7 अथवा 9 जैसी भी स्थिति हो, में अनुमन्य दैनिक भत्ता की गणना वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–3 के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत की जायेगी।

(4) निःशुल्क आवास व्यवस्था उपलब्ध होने पर ठहरने के व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी। होटल में यदि सुबह का नाश्ता प्रतिदिन के किराये में शामिल है तब दैनिक भत्ते की धनराशि में से 25 % की कटौती कर ली जायेगी। इसी प्रकार यदि होटल के अवस्थान में दो meals शामिल हैं तब दैनिक भत्ते की धनराशि में से 50 % की कटौती कर ली जायेगी।

I.T
upload on
24.1.19

(देवेन्द्र शाह)
अधिशासी अभियन्ता

Modo - manage your online data. Learn More>

इसी प्रकार यदि तीनों meals अवस्थान में शामिल हैं तब दैनिक भत्ते की धनराशि में से 75 %की कटौती कर ली जायेगी।

(4) निजी व्यवस्था में अवस्थान करने पर तालिका के स्तम्भ–6 अथवा 8 में अनुमन्य दरों के स्थान पर स्तम्भ– 7 अथवा 9, जैसी भी स्थिति हो, का 1.5 गुना दैनिक भत्ता प्रतिदिन के आधार पर अनुमन्य होगा। निजी व्यवस्था में अवस्थान करने पर अवस्थान भत्ता अतिरिक्त रूप में अनुमन्य नहीं होगा।

(6) आनुषांगिक व्यय की व्यवस्था समाप्त की जाती है।

(7) सड़क मार्ग से की जाने वाली लम्बी यात्राओं के लिये सड़क मील भत्ता की अनुमन्यता की शर्तें व दरें वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के प्राविधानानुसार पूर्ववत् रहेंगी।

(8) किन्हीं अन्य आदेशों/नियमों में व्यवस्था उपबन्धित होते हुए भी उपरिउल्लिखित तालिका में उल्लिखित दैनिक भत्ता/सड़क किलोमीटर भत्ता की अधिकतम दरें ही दैनिक आधार पर अनुमन्य होंगी अर्थात उक्त दरों के अतिरिक्त कोई अन्य दैनिक भत्ता/सड़क किलोमीटर भत्ता अतिरिक्त रूप से अनुमन्य नहीं किया जायेगा।

(9) यात्रा पर जाते समय तथा गंतव्य स्थान से वापसी में, निवास स्थान से बस स्टेशन/रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट के बीच की जाने वाली अल्प दूरी की यात्राओं के लिये सड़क किलोमीटर भत्ता उपरोक्त तालिका के स्तम्भ–10 अनुरूप ग्राह्य होगा। रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक उक्त स्थानीय/अल्प दूरी सम्बन्धी यात्राओं के लिए स्तम्भ–10 में उल्लिखित सड़क किलोमीटर भत्ते की धनराशि का 1.5 गुना अनुमन्य होगा। सड़क किलोमीटर भत्ता की गणना वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के सुसंगत नियमों के अनुसार की जायेगी।

(ख) स्थानान्तरण यात्रा भत्ता।

(धनराशि रू0 में)

क्र. सं.	वेतन स्तर	यात्रा श्रेणी			सामान की अधिकतम सीमा एवं दर (30 पैसे प्रति कि.मी. प्रति कुन्तल)	एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान	स्थानान्तरण पर वाहन की ढुलाई की प्रतिपूर्ति
		हवाई	रेल	सड़क			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	16 एवं उच्च	बिजनेस क्लास	ए.सी. प्रथम श्रेणी /शताब्दी एक्सप्रेस (एक्जीक्यूटिव क्लास)	ए.सी. बस /वोल्वो	60 कुन्तल	50 कि.मी. तक स्थानान्तरण होने की स्थिति में वेतन स्तर के न्यूनतम का 5% तथा 50 कि.मी. से अधिक दूरी पर स्थानान्तरण होने पर वेतन स्तर के न्यूनतम का 20% (अधिकतम रू0 25000/– धनराशि) एकमुश्त अनुदान के रूप में अनुमन्य होगी।	एक मोटर कार अथवा एक मोटर साईकिल /स्कूटर
2	13 ए से 15	इकोनोमी क्लास	ए.सी. प्रथम श्रेणी /शताब्दी एक्सप्रेस (एक्जीक्यूटिव क्लास)	ए.सी. बस /वोल्वो	60 कुन्तल	–तदैव–	–तदैव–
3	10 से 13	–	ए.सी. टू टियर/ ए.सी. चेयर कार	ए.सी. बस	60 कुन्तल	–तदैव–	–तदैव–
4	5 से 9	–	ए.सी. थ्री टियर/ ए.सी. चेयर कार	ए.सी. बस	30 कुन्टल	–तदैव–	एक मोटर साईकिल / स्कूटर/मोपेड/साईकिल
5	1 से 4	–	स्लीपर क्लास/ साधारण चेयर कार	साधारण बस	15 कुन्टल	–तदैव–	–तदैव–

(10) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सेवानिवृत्ति पर भी उक्तानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता अनुमन्य होगा।

(11) विदेश यात्राओं हेतु भारत सरकार के प्राविधान यथावत् लागू होंगे।

1.T
upload on
24.1.19
(देवेन्द्र शाह)
अधिशासी अभियन्ता

Modo - manage your online data. Learn More>

(12) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों हेतु वायुयान की श्रेणियां भारत सरकार में तत्समय् प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप होंगी।

(13) उक्त दरें दिनांक 01–02–2019 से लागू होंगी लेकिन इस शासनादेश के जारी होने एवं लागू होने की तिथि के मध्य की गयी यात्राओं के सम्बन्ध में यात्रा समाप्ति की तिथि को लागू दरें प्रभावी होंगी। परन्तु जिन मामलों में इन आदेशों के लागू होने से पूर्व प्रभावी नियमों/दरों के अधीन यात्रा भत्ता/स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आहरित किया जा चुका है, उन्हें पुनरोद्घाटित नहीं किया जायेगा।

(14) यात्रा भत्ता एवं स्थानान्तरण यात्रा भते के सम्बन्ध में पूर्व में लागू शर्तें एवं प्रतिबन्ध उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

(15) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के सुसंगत नियमों में उक्तानुसार संशोधन यथासमय किये जायेंगे।

/

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः 18 (1)/XXVII(7)/18–50(14)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
9. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
10. निदेशक आडिट निदेशालय, देहरादून।
11. वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राजकीय विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

I.T

Upload करें।

24.01.19

(देवेन्द्र शाह)
अधिशासी अभियन्ता

Modo - manage your online data. Learn More>